

आमंत्रण

लघु उद्योग इकाईयों का वर्ष 2009-10 के लिये आपूर्ति हेतु पंजीयन निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर लौह-इस्पात एवं कोयला का उपार्जन कर लघु उद्योग इकाईयों को उत्पादन कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाता है । इच्छुक लघु उद्योग इकाईयों से आग्रह है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये निर्धारित प्रपत्र में समबन्धित जिला उद्योग केंद्र से अपना आवेदन पत्र प्रमाणित कराकर तीस दिवस की अवधि में निगम में पंजीयन करावें ताकि उनके लाभार्थ भारत सरकार से समय-समय पर आवंटित लौह-इस्पात एवं कोयला उपलब्ध कराया जा सके । पात्र इकाईयों का निगम द्वारा चयन कर वर्ष भर के लिये अनुबध किया जावेगा । पंजीयन हेतु इच्छुक इकाईयों रू.1000/- पंजीयन शुल्क फार्म के साथ जमा करायेगें, विस्तृत जानकारी के लिये वैबसाईट www.rajsico.gov.in देखें अथवा निगम मुख्यालय स्थित कच्चा माल शाखा प्रभारी उप महाप्रबन्धक (कोल) एवं सहायक महाप्रबन्धक (लौह-इस्पात) से दूरभाष नं0 0141-5115760 पर सम्पर्क करें ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme
Jaipur-302005